प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रबन्धक/ प्रधानाध्यापक,

टी0आर0 प्राथमिक विद्यालय रूपवास पचगाईं,
वि0क्षेत्र-सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर)

पत्र संख्या शि0 सं0/ 5581-82 / 2009-10 दिनांक 16/3/10

विषयः अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजाज्ञा संख्या 1873/15-6-98-18 एस (7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अन्तर्गत स्थाई प्रकृति की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मान्यता समिति की संस्तुति पर आपके विद्यालय को दिनांक ---01-07-2009----- से प्राईमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक की स्थाई प्रकृति की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यह मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं कर ली जाती है। निम्नांकित मानक पूर्ण करना आवश्यक है।

1- समिति के पंजीकरण का अद्यावधि नवीनीकरण कराया जाये।
2- केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किया जाय। इस कार्यालय की अनुमति के बिना कोई अध्यापक न नियुक्त किया जाये और न हटाया जाये।
3- विद्यालय की भवन एवं भूमि पर विद्यालय का स्वामित्व हो। भवन एवं भूमि विद्यालय के नाम दाखिल खारिज हो।
4- विद्यालय के भवन में 20x16 फीट के 05 कक्ष (प्रत्येक कक्षा व खण्ड के लिए एक कक्ष) एवं 12x10 फीट का कार्यालय होना चाहिए।
5- अध्यापक कर्मचारियों को परिषद् द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये जायें तथा बैंक ट्रान्सफर या चैक से वेतन भुगतान किया जाये।
6- अध्यापक/ कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना का लाभ दिया जाये।
7- विद्यालय में छात्रों को परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये।
8- विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल किया जाये।
9- शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।
10- नर्सरी व के.जी. तथा 6, 7, 8 की कक्षाऐं विद्यालय में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के संचालित न की जायें।
11- विभाग/शासन/उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन किया जाये।
12. समीप के अग्नि शमन अधिकारी से सम्पर्क कर अग्नि शमन व्यवस्था की जाये।

किसी भी अवैधानिक गतिविधि का संचालन न किया जाये। उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण बेसिक नियमावली की धारा 12 के अन्तर्गत कर लिया जायेगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ0 सं0 शि0 सं./ / 09-10 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी सिकन्द्राबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर